राजा मानसिंह तोमर
संगीत एवं कला विश्वविद्यालय
ग्वालियर, मध्यप्रदेश

Raja Mansingh Tomar
Music and Arts University
Gwalior, Madhya Pradesh

क्र. /545/अकादमिक/रामातोविवि/ग्वा./2021 दिनांकः– 17/09/2021

प्रति,

समस्त प्राचार्य,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शासकीय एवं
अशासकीय संगीत एवं कला महाविद्यालय
मध्यप्रदेश

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष
रा.मा.तो. संगीत एवं कला विश्वविद्यालय

विषय :– विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सत्र् 2021–22 की शैक्षणिक गतिविधियाँ भौतिक रूप से आरम्भ करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत म.प्र. शसन के उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 704/सी.सी./2021/अड़तीस मध्यप्रदेश शासन भोपाल, दिनांक 09.09.2021 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सत्र 2021–22 की शैक्षणिक गतिविधियों को भौतिक रूप से आरम्भ करने के निर्देश जारी किए गए हैं (निर्देश की छायाप्रति संलग्न है)। इसके अनुपालन में आप अपने संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियाँ भौतिक रूप से प्रारम्भ करें। शासन द्वारा जारी किए निर्देशानुसार आपको जिलास्तर पर गठित क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रुप की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

उक्त के क्रम में ग्वालियर जिले के लिए कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, ग्वालियर म.प्र. के पत्र क्र. क्यू/स्टेनो/एडीएम/धारा–144/475/2021 ग्वालियर, दिनांक 13.09.2021 का अवलोकन करें (संलग्न पत्र की प्रति)।

कृपया शासन के संलग्न निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार
(मान. कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

प्रभारी अकादमिक शाखा कुलसचिव

क्र. /546/अकादमिक/रामातोविवि/ग्वा./2021 दिनांकः– 17/09/2021

1. मान. कुलपति जी, रा.मा.तो. संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर
2. सम्बन्धित फाईल

प्रभारी अकादमिक शाखा कुलसचिव

नाका चन्द्रवदनी चौराहा, विवेकानंद नीड्म रोड़, ग्वालियर (म0प्र0) पिन–474002
E-mail : rmt.academiccell@gmail.com

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, ग्वालियर म०प्र०

कमांक: क्यू/स्टेनो/एडीएम/धारा–144/ 475 /2021 ग्वालियर, दिनांक: 13.09.2021

।। आ दे श ।।

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा कोविड–19 संक्रमण के संबंध में परिपत्र कमांक: एफ 35–09/2020/सी–2/दो दिनांक 14.07.2021 यथासंशोधित 19.07.2021, 31.07.2021, 10.08.2021, 01.09.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों को यथावत रखते हुए, उसमें निहित निर्देशानुसार मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश कमांक: 704/सी.सी./2021/अड़तीस दिनांक 09.09.2021 द्वारा शिक्षण कार्य हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमें प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में सत्र 2021–22 की शैक्षणिक गतिविधियॉं 15 सितम्बर 2021 से विद्यार्थियों की भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ प्रांरभ किये जाने के निर्देश हैं।

2/ ग्वालियर जिले में वर्तमान में कार्यालयीन आदेश कमांक: क्यू/स्टेनो/एडीएम/धारा–144/391/2021 दिनांक 14.07.2021 यथा संशोधित 20.07.2021, 25.07.2021, 03.09.2021 प्रभावी हैं, को यथावत रखते हुए म०प्र०शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 09.09.2021(जो इस आदेश का भाग है) में निहित निर्देशों का पालन करते हुए एवं आज दिनांक को जिला स्तरीय कायसिस मैनेजमेन्ट समिति में लिये गये निर्णय अनुसार ग्वालियर जिले के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में सत्र 2021–22 की शैक्षणिक गतिविधियॉं 15 सितम्बर 2021 से विद्यार्थियों की भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ प्रांरभ की जावें । शैक्षणिक संस्थाओं में पुस्तकालय, छात्रावास, मेस व्यवस्था का संचालन तथा सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन भी आदेश दिनांक 09.09.2021 में दिये गये आदेशानुसार किया जावे।

3/ उक्तादेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 में वर्णित अनुसार दण्डात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

4/ यह आदेश ग्वालियर जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक् रूप से व्यक्तिशः निर्वहन कराया जाना संभव नहीं है, अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। अपर संचालक जन संपर्क जिले में प्रकाशित सभी समाचार–पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में निःशुल्क प्रकाशन और प्रसारण कराया जाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 14.09.2021को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

संलग्न–उक्तानुसार

(कौशलेन्द्र विक्रम सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर, म.प्र.

पृ.कमांक: क्यू/स्टेनो/एडीएम/धारा–144/ 475 /2021 ग्वालियर, दिनांक: 13.09.2021

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1– प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
2– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3– रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर
4– आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर
5– पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज ग्वालियर
6– पुलिस अधीक्षक ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु साथ ही इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ थानों को तदाशय के संबंध में अपने स्तर से भी निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
7– आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर
8– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर
9– समस्त अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर
10– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी ग्वालियर
11– समस्त एसडीएम/तहसीलदार ग्वालियर
12– समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/एसडीओपी/थाना प्रभारी जिला ग्वालियर
13– समस्त इंसीडेंट कमांडर
14– अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा ग्वालियर की ओर भेजकर लेख है कि उक्तादेश की प्रति समस्त परम्परागत/निजी विश्वविद्यालय, समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशा./निजी महाविद्यालयों एवं अन्य सर्वसंबंधितों को तामीली करावें।
15– जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं पालन कराये जाने हेतु।
16– अपर संचालक जन सम्पर्क ग्वालियर की ओर प्रेषित कर लेख है कि जन सामान्य की जानकारी हेतु उक्तादेश इलैक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार–पत्रों में प्रमुखता से निःशुल्क प्रकाशित करावें ।

जिला मजिस्ट्रेट

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय–462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 09/09/2021

कमांक 704/सी.सी./2021/अड़तीस :: मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश कमांक 544/94/सीसी/2021/अड़तीस, भोपाल, दिनांक 15.07.2021 के द्वारा जारी अकादमिक कैलेण्डर के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में **सत्र 2021–22** की शैक्षणिक गतिविधियाँ, **15 सितम्बर, 2021** से विद्यार्थियों की भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ प्रारंभ की जाती है। शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने के संदर्भ में विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते है :–

1. शिक्षण कार्य के लिये निर्देश :

1.1 कोविड – 19 नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में 15 सितम्बर, 2021 से पूर्व समस्त कुलसचिव/ प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय द्वारा **जिला स्तर पर गठित क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रुप की अनुशंसा** प्राप्त कर क्षेत्राधिकार के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियाँ प्रारंभ की जाए।

1.2 प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक स्टॉफ की शत–प्रतिशत उपस्थिति होगी।

1.3 विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की भौतिक रूप से 50% उपस्थिति के साथ कक्षाओं का संचालन किया जाएगा।

1.4 शिक्षण संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा।

1.5 शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑफलाइन एवं ऑनलाइन कक्षाओं के लिए पृथक–पृथक समय–सारणी का निर्माण किया जाएगा।

1.6 विद्यार्थी संख्या अधिक होने की स्थिति में प्रत्येक स्तर पर कोविड–19 के सुरक्षा मानकों के आधार पर पृथक–पृथक समूह (बैच) बनाकर प्रायोगिक एवं शैक्षणिक कार्य संपादित किया जाए। इस संबंध में अधोसंरचना की उपलब्धता एवं स्थानीय परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित संस्था प्रमुख निर्णय लेंगे।

2. पुस्तकालय के लिए निर्देश :

2.1 संस्थाओं में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए ग्रंथालय भी आरंभ होंगे।

2.2 पुस्तकालय में केवल पंजीकृत विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाए।

2.3 पुस्तकालय में प्रवेश के पूर्व कर्मचारियों/विद्यार्थियों का शारीरिक तापमान लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2.4 पुस्तकालय में विद्यार्थियों के लिए अध्ययन समय कार्यालयीन समयानुसार सुनिश्चित किया जाय।

2.5 ग्रंथालय में प्रवेश के पूर्व विद्यार्थी आवश्यक रूप से मास्क पहनें,हाथों को सेनेटाइज करें एवं पुस्तकालय में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें।

2.6 पुस्तकालय में प्रवेश के उपरांत अपना बैग, लेपटॉप इत्यादि पुस्तकालय में प्रापर्टी काउंटर पर रखें एवं टोकन प्राप्त करें।

2.7 पुस्तकालय अध्ययन कक्ष में क्षमता से 50 प्रतिशत विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

2.8 किसी भी विद्यार्थी के कोविड–19 से संक्रमित पाये जाने पर पुस्तकालय को तत्काल खाली करवा कर सेनेटाइज करवाया जाए।

3. छात्रावास हेतु निर्देश :

3.1 विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रावास चरणबद्ध रूप से आरंभ होंगे। प्रथम चरण में स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास खोले जायेंगे।

3.2 छात्रावासी परिसर में सौशल डिस्टेन्सिंग, सेनिटाइजेशन एवं सभी विद्यार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए।

3.3 डायनिंग हॉल में विद्यार्थियों की पर्याप्त शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जाए।

3.4 रसोई, डायनिंग हॉल, स्नानागार एवं शौचालय आदि की स्वच्छता की निगरानी सतत रखी जाए।

3.5 यथा संभव आवश्यक वस्तुओं को छात्रावास–परिसर में ही उपलब्ध कराया जाए। विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से बाजार में जाने से बचना चाहिए।

3.6 छात्रावास में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के स्टाफ के अतिरिक्त अनावश्यक लोगों के प्रवेश को वर्जित किया जाए।

3.7 किसी भी विद्यार्थी या स्टाफ में कोविड–19 के लक्षण प्रकट होने पर उसे तुरन्त आयसोलेशन के साथ चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

3.8 छात्रावासों में राज्य हेल्पलाइन नम्बर और स्थानीय अस्पताल आदि के नम्बर सूचना पटल पर प्रदर्शित किये जाएँ, जिससे किसी भी आपात स्थिति में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा सम्पर्क किया जा सके।

3.9 विद्यार्थियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य की पूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय/संबंधित महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।

3.10 विद्यार्थियों के घोषणा पत्र एवं माता–पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के आधार पर ही विद्यार्थी को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करायी जाए।

4. मेस व्यवस्था के निर्देश :

4.1 छात्रावास के भोजन कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या (छोटे–छोटे बैच बनाकर) निर्धारित की जाए तथा मेस की समय–सारणी बनाकर समयावधि बढ़ाई जाए।

4.2 भोजन बनाने एवं खाना परोसने वाले स्टाफ द्वारा फेस कवर, मास्क का उपयोग तथा हाथों को सेनेटाइज किया जाना आवश्यक है।

4.3 यह सुनिश्चित किया जाए कि भोजन ताजा, पौष्टिक एवं वरिष्ठ कर्मचारी की निगरानी में बनाया गया हो तथा उपयोग में लाये जाने वाले बर्तन साफ–सुथरे हों।

4.4 कोविड–19 महामारी को देखते हुए भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों के समावेश का विशेष ध्यान रखा जाए।

4.5 मेस में पीने के स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

4.6 उपयोग में लाये जाने वाले बर्तन साफ–सुथरे हों। विद्यार्थियों द्वारा मेस में प्रवेश के समय हाथ धोना/सेनेटाइज करना अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए।

4.7 यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रतिदिन रसोई (खाना बनाने का स्थान, बर्तन धोने का स्थान) को अच्छी तरह से साफ एवं सेनेटाइज किया गया हो तथा गंदा पानी एक स्थान पर एकत्रित न हो।

4.8 मेस (भोजन कक्ष) में विद्यार्थियों के बैठने के स्थान को प्रतिदिन स्वच्छ एवं सेनेटाइज किया जाए।

4.9 छात्रावास में निवासरत विद्यार्थियों के लिए मेस व्यवस्था अनिवार्य हो, ताकि विद्यार्थियों को बाहर से भोजन मंगवाने की आवश्यकता न हो।

5. सुरक्षा सम्बन्धी निर्देश :

5.1 संस्था द्वारा अपने स्टाफ एवं विद्यार्थियों को स्वास्थ्य एवं कोविड–19 संबंधी समस्याओं के विषय में जागरूक किया जाना चाहिए।

5.2 कोविड–19 के संक्रमण के बचाव के लिये उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं लक्षण पाये जाने पर चिकित्सकीय सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए।

5.3 संकमित व्यक्ति के लिये आयसोलेशन एवं क्वारंटीन सुविधा की व्यवस्था छात्रावास में पृथक रूप से अथवा शासकीय अस्पताल में की जानी चाहिए।

5.4 किसी भी स्थिति में कन्टेन्मेन्ट जोन से संबंधित विद्यार्थी व स्टाफ का संस्था में प्रवेश वर्जित किया जाना चाहिए।

5.5 विद्यार्थी एवं स्टाफ को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड किये जाने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।

5.6 विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य होगा।

5.7 विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जिन्हे चिकित्सकीय परामर्श के आधार पर वैक्सीनेशन की छूट है, उनके संबंध में संस्था प्रमुख निर्णय कर ऑनलाइन कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे।

5.8 छात्र–छात्राओं के घोषणा पत्र एवं माता–पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के आधार पर उपस्थिति स्वीकार्य होगी। माता/पिता/अभिभावक द्वारा एक बार दी गई सहमति पूरे सत्र के लिए मान्य होगी।

5.9 यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा परिवहन की सुविधा का प्रबंधन किया जाता रहा है ऐसी स्थिति में बसों/अन्य परिवहन वाहनों में विद्यार्थियों के मध्य भौतिक दूरी सुनिश्चित करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता से चलाई जाएगी। बसों/अन्य परिवहन वाहनों का 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट के उपयोग से सेनिटाइजेशन किया जायेगा।

5.10 विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कोविड–19 के संदर्भ में केन्द्र शासन, राज्य शासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4/6

1 कोविड–19 की विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन संस्था स्तर पर किया जाना चाहिए, जिसमें वरिष्ठ शिक्षक, विद्यार्थी, एन.जी.ओ. स्वास्थ्य संगठन एवं सरकारी अधिकारी आदि सम्मिलित किये जा सकते हैं। शिक्षक, स्टाफ एवं विद्यार्थियों को संबंधित कार्ययोजना एवं संस्था में संचालित गतिविधियों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।

2 समस्त संस्था प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ सहित समस्त विद्यार्थियों (चिकित्सकीय प्रकरण को छोड़कर) ने वैक्सीनेशन का कम–से–कम पहला डोज अवश्य लगवा लिया हो। वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र संस्था प्रमुख के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। जिन्होंने दोनों डोज लगवा लिया हो, वे फाइनल सर्टिफिकेट जमा करेंगे। विद्यार्थी परिशिष्ट–एक के साथ प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे।

3 संस्था प्रमुख द्वारा वैक्सीनेशन के संबंध में शैक्षणिक, अशैक्षणिक स्टाफ एवं विद्यार्थियों की कक्षावार जानकारी संग्रहित कर अग्रणी महाविद्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

4 विश्वविद्यालय स्तर पर कुलसचिव तथा महाविद्यालय स्तर पर संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी और इसका प्रतिवेदन प्रत्येक सोमवार को कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा को प्रेषित किया जाएगा।

ट–एक "विद्यार्थी / अभिभावक का सहमति पत्र"।
ट–दो "निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप"।

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

705 / सी.सी. / 2021 / अड़तीस भोपाल, दिनांक 09 / 09 / 2021

ख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल म.प्र.।
व, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
त सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
फ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
फ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
त सहायक, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल।
त सहायक, कुलपति समस्त परम्परागत / निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
सचिव, समस्त परम्परागत / निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
स्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
ार्य, समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
ार्य, समस्त शास. / अनुदान प्राप्त अशा. / निजी अशा. महाविद्यालय म.प्र.।
ष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी.शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल ओर वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

स्वैच्छिक आधार पर शिक्षकों से मार्गदर्शन/प्रायोगिक कार्य हेतु विद्यार्थी का घोषणा पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... शैक्षणिक सत्र 2021–22 के अंतर्गत स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष या स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय सेमेस्टर का/की नियमित विद्यार्थी हूँ।

मैं स्वैच्छिक आधार पर महाविद्यालय में प्रायोगिक कार्य/शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने/नियमित कक्षाओं में सम्मिलित होना चाहता/चाहती हूँ।

मुझे कोरोना (कोविड–19) से उत्पन्न स्थितियों एवं स्वास्थ्य पर होने वाले विपरीत प्रभावों की जानकारी है। मैं कोरोना (कोविड–19) के प्रसार को रोकने के लिए राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी "मानक संचालन प्रकिया" का पालन सुनिश्चित करूंगा/करूंगी।

दिनांक :– ....

विद्यार्थी के हस्ताक्षर ....

विद्यार्थी का नाम ....

कक्षा ....

महाविद्यालय का नाम ....

....

मो.नं. ....

अभिभावक का सहमति/घोषणा पत्र

मेरा पुत्र/पुत्री .... कक्षा .... महाविद्यालय .... में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत है। मुझे कोरोना (कोविड–19) के प्रसार तथा उत्पन्न स्थितियों व बचाव के विभिन्न उपायों की जानकारी है।

मैं स्वेच्छा से अपने पुत्र/पुत्री को महाविद्यालयों में प्रायोगिक कार्य/शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने/नियमित कक्षाओं में शामिल होने की सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

दिनांक :– ....

अभिभावक के हस्ताक्षर ....

अभिभावक का नाम ....

मो.नं. ....

स्थानीय निवास का पता ....

परिशिष्ट–दो 6/6

निरीक्षण प्रतिवेदन

- विश्वविद्यालय / महाविद्यालय का नाम : ....
  ....
- स्थान / जिला : ....
- सेनेटाइजेशन की व्यवस्था : अच्छा / संतोषजनक / सामान्य
- थर्मल गन से परीक्षण की व्यवस्था : अच्छा / संतोषजनक / सामान्य
- कक्षाओं में बैठक व्यवस्था : अच्छा / संतोषजनक / सामान्य
- प्रयोगशालाओं की व्यवस्था : अच्छा / संतोषजनक / सामान्य
- मास्क आदि के उपयोग की स्थिति : अच्छा / संतोषजनक / सामान्य
- पुस्तकालय में पुस्तक प्रदाय की व्यवस्था : अच्छा / संतोषजनक / सामान्य
- एस.ओ.पी. के समस्त निर्देशों का पालन : पूर्ण / आंशिक
- घोषणा पत्र के माध्यम से स्नातक स्तर की कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति का प्रतिशत : ....
  ....
- घोषणा पत्र के माध्यम से स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति का प्रतिशत : ....
  ....
- संस्था में विविध स्थलों पर स्वच्छता की व्यवस्था : ....
  ....

समग्र आंकलन के साथ टीप (आवश्यक हो तो पृथक से रिपोर्ट संलग्न करें)

निरीक्षण अधिकारी का नाम : ....

....

पद : ....

मो.नं. : ....

दिनांक : ....